PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

UNIT-4 **PAPER NAME – BANKRUPTCY LAW**

Q1. प्रान्तीय शोधक्षमता अधिनियम ,1920 के अन्तर्गत अपील सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

उत्तर - **आदाता के विरुद्ध न्यायालय को अपील** (Appeal to Court against 2011 (7) receiver) —प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 68 आदाता के विरुद्ध न्यायालय को अपील से सम्बन्धित प्रावधानों को उपबन्धित करती है। धारा 68 के अनुसार, यदि दिवालिया या कोई ऋणदाता या कोई अन्य व्यक्ति आदाता के किसी कार्य या विनिश्चय से क्षुब्ध होता है, तो वह न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है, और न्यायालय उस परिवेदित कार्य या विनिश्चय को पुष्ट कर सकता है, उलट सकता है, या संशोधित कर सकता है और ऐसा आदेश दे सकता है जैसा कि वह उचित समझता है, किन्तु कोई भी प्रार्थना-पत्र परिवेदित कार्य या विनिश्चय की तारीख से 21 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा।

न्यायालय में कोई व्यक्ति, जिसे दिवालिया की सम्पत्ति के विषय में न्यायालय का निर्णय माँगने का अधिकार है, आवेदन कर सकता है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आदाता के कार्य या विनिश्चय से प्रभावित हुआ हो। प्रभावित व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके कानूनी अधिकारों पर असर पड़ा है। जब धारा 68 के अधीन कोई अपील की जाती है तो न्यायालय को निम्नलिखित बातों में से कोई एक करने का अधिकार होता है

(i) उस कार्य या विनिश्चय को जो अपील की विषय-वस्तु है, पुष्टि करना; या
(ii) उसे उलट देना; या
(iii) उसे संशोधित कराना।

अपील के लिए समय को धारा 68 द्वारा निर्धारित किया गया है। अपील उस कार्य या विनिश्चय की तारीख से 21 दिन के अन्दर अवश्य दाखिल हो जानी चाहिए। इस सम्बन्ध निम्नलिखित मामले उल्लेखनीय हैं

(i) भँवर लाल बनाम बाबू लाल, A.I.R. 1992M.P. 6 के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धारा 68 के साथ संलग्न परन्तुक के सम्बन्ध में अवधारित किया गया कि धारा 68 का परन्तुक आदाता के कार्य या निर्णय, जिसके कि विरुद्ध शिकायत की गयी है, की तिथि से इक्कीस दिन की परिसीमा विहित करती है तथा ऐसे मामलों में, जहाँ कार्य या निर्णय को औपचारिक ढंग से संसूचित नहीं किया गया है, परिसीमा का प्रारम्भ अवधारित नहीं किया जायेगा जब तक कि शिकायत किये गये कार्य या निर्णय की कोई वास्तविक या आन्वयिक सूचना पीड़ित पक्ष को न हो।

(ii) 1995 A.I.H.C. 4969 के मामले में जहाँ दिवाला कार्यवाही में नीलाम कार्य द्वारा विक्रय के सम्बन्ध में नीलाम की तिथि से पूर्व नीलामी की सूचना नहीं भेजी गयी और न प्रतिस्थापित तामील द्वारा सूचना की तामील कराई गयी तथा वहाँ न कोई उपयुक्त इश्तिहार तथा प्रकाशन ही था, ऐसा विक्रय खण्डित होने योग्य है ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(iii) पद्मावथम्मा बनाम पार्थसारथी, 1996 (4) A.L.T. 272 के मामले में न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि आदाता के आदेशों के विरुद्ध न्यायालय को की गयी अपीलों के मामले में संव्यवहार करने वाली अधिनियम की धारा 68 केवल यह प्रावधान करती है कि आदाता के कार्यों या निर्णय से यदि कोई दिवालिया या उसका कोई ऋणदाता या कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित है तो वह न्यायालय को आवेदन कर सकता है तथा न्यायालय ऐसे कार्य या निर्णय को पुष्ट कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है तथा ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

अपीलों से सम्बन्धित प्रावधान (Provisions relating to appeals)—प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 75 अपीलों के सम्बन्ध में उपबन्धित है। धारा 75 यह उपबन्धित करती है कि---

(1) जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा दिवाला अधिकारिता के प्रयोग को आये निर्णय या में किए गये आदेश से पीड़ित ऋणी, कोई ऋणदाता, आदाता या कोई अन्य व्यक्ति जिला न्यायालय को अपील कर सकता है तथा ऐसी अपील पर जिला न्यायालय का आदेश अन्तिम होगा;

परन्तु यह तब जबकि उच्च न्यायालय स्वयं को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन हेतु कि जिला न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी अपील में किया गया आदेश विधि के अनुसार था, मामले को मँगा सकता था तत्सम्बन्धित ऐसा आदेश, जैसा वह उचित समझता है, दे सकता है।

परन्तु और कि जबकि धारा 4 के अधीन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपील पर जिला न्यायालय के निर्णय से पीड़ित कोई व्यक्ति व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 (1) में उल्लिखित आधारों में से किसी पर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायालय के किसी विनिश्चय या आदेश से क्षुब्ध हो, जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित है, और जो किसी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध की गयी अपील से अन्यथा किसी प्रकार से किया गया हो या दिया गया हो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गये आदेश से अपील से अन्यथा जिला न्यायालय द्वारा किए गये किसी अन्य आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति जिला न्यायालय की या उच्च न्यायालय की अनुमति से उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है।

(4) इस धारा के अधीन जिला न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अपीलों के लिए मर्यादा की अवधि क्रमशः तीस दिन तथा नब्बे दिन होगी।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

कौन अपील कर सकता है ? (Who may appeal) -- अपील केवल ऋणी, ऋणदाता या आदाता ही नहीं वरन् कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति कर सकता है, किन्तु अपील करने वाले व्यक्ति को न्यायालय के आदेश से क्षुब्ध अवश्य होना चाहिए। अतः कोई व्यक्ति उस समय तक अपील नहीं कर सकता जब तक कि वह क्षुब्ध न हो।

अपील का स्थान (Place of appeal) - प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 75 के अनुसार, अपील दो स्थानों पर की जा सकती है-

(i) जिला न्यायालय में, (ii) उच्च न्यायालय में

जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय की अपील जिला न्यायालय में होगी। वहाँ पर ऋणी, ऋणदाता, आदाता तथा अन्य कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति अपील कर सकता है। उसका निर्णय अन्तिम तथा पक्षकारों के लिए बन्धनकारी होता है। जिला न्यायालय के निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

Q2. एक ऐसे ऋणदाता के क्या अधिकार है जिसने लाभांश की घोषणा के पूर्व अपने ऋणों को सिद्ध न किया हो ?

उत्तर – लाभांशों की गणना (Calculation of dividends) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 62 लाभांशों की गणना के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। धारा 62 के अनुसार, लाभांशों की गणना में आदाता अपने हाथों में निम्नलिखित को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त आस्तियाँ रखेगा

(क) इस अधिनियम के अधीन साध्य तथा दिवालिया के कथनों या अन्यथा से इतनी दूर • स्थानों में निवास करते वाले कि संचार के साधारण अनुक्रम में उन्हें अपने प्रमाणों को देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है, व्यक्तियों को देय प्रतीत होने वाले ऋण;
(ख) इस अधिनियम के अधीन साध्य ऋण, जो अभी विनिश्चित न हुई माँगों का विषय है,
(ग) विवादित प्रमाण या माँग; एवं
(घ) सम्पदा या अन्यथा के प्रशासन के लिए अन्य खर्च ।
इस प्रकार, आदाता के हाथ में आया हुआ सारा धन लाभांशों के रूप में वितरित किया जायेगा।

ऐसे ऋणदाता का अधिकार जिसने अपना ऋण सिद्ध नहीं किया है (Right of such who has not proved his debts)- प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 63 यह उपबन्धित करती है कि कोई भी ऋणदाता जिसने किसी लाभांश या लाभांशों की घोषणा के पूर्व अपने ऋण को सिद्ध नहीं किया है, आदाता के हाथों में तत्समय किसी धन या लाभांश में से भुगतान पाने के लिए अधिकृत होगा जिसे वह, इसके पूर्व कि वह धन किसी भावी लाभांशों के भुगतान में इस्तेमाल किया जाता, प्राप्त करने में असफल रहा हो, परन्तु वह, इसके पूर्व कि उसका ऋण सिद्ध कर

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

दिया गया था, किसी लाभांश के वितरण को, इस कारण द्वारा कि उसने उसमें भाग नहीं लिया है, भंग करने को अधिकृत नहीं होगा।

आदाता द्वारा लाभांश का भुगतान करने से इन्कार करने पर उपलब्ध उपचार (Remedy available against refusal of payment of dividend by receiver) — इस सम्बन्ध में प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 65 यह उपबन्धित करती है कि सामान्यतया लाभांश के लिए आदाता के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, परन्तु जहाँ आदाता किसी लाभांश का भुगतान करने को मना करता है, तो न्यायालय, किसी ऋणदाता को, जो अनुसूची में प्रविष्ट है, के प्रार्थना पत्र पर उसको इसके भुगतान करने तथा उस समय के लिए जब यह प्रतिधारित कर लिया गया है, अपने ही धन से उस पर ब्याज तथा प्रार्थना-पत्र के खर्चे का भुगतान करने को भी, आदेश दे सकता है।

Q3. एक दिवालिया व्यक्ति की सम्पत्ति के वितरण सम्बन्धी नियमो का वर्णन कीजिये।

उत्तर- ऋणदाताओं के मध्य वितरण के लिए उपलब्ध दिवालिये की सम्पत्ति (Properties of debtor which are available for distribution among creditors) – दिवालिये की निम्नलिखित सम्पत्तियाँ ऋणदाता के मध्य वितरण के लिए उपलब्ध होती हैं—

(1) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 28 (3) के अनुसार, ऐसी समस्त वस्तुयें जोकि उस याचिका के प्रस्तुत किये जाने की तारीख पर, जिस याचिका पर कि न्यायनिर्णयन का • आदेश दिया जाता है दिवालिये के वाणिज्य या व्यापार के सम्बन्ध में, उन वस्तुओं के असली स्वामी की अनुमति तथा सहमति के साथ ऐसी परिस्थितियों में दिवालिये के कब्जे में, आदेश पर या व्ययनाश्रित हों कि वह उनका विख्यात स्वामी समझा जाता हो।

(2) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 28-A के अनुसार, सम्पत्ति में या उसके ऊपर या सम्बन्ध में सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने या प्रयोग करने के लिए कार्यवाहियाँ करने की क्षमता भी, जैसी दिवालिये द्वारा अपनी शोधन अक्षमता के प्रारम्भ पर या अपनी उन्मुक्ति से पूर्व अपने ही लाभार्थ प्रयोग की जा सकती थी, दिवालिये की सम्पत्ति में समाविष्ट होगी तथा सदैव समाविष्ट होना समझा जायेगा।

(3) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 28 (4) के अनुसार, ऐसी समस्त सम्पत्ति जो न्यायनिर्णयन आदेश की तारीख के उपरान्त और दिवालिये के उन्मोचन के पूर्व दिवालिये के द्वारा अर्जित की जाती है या उसे उत्तराधिकार द्वारा मिलती है।

वह सम्पत्ति जो ऋणदाताओं के मध्य वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होती (Properties of debtor which are not available for distribution among creditors) – दिवालिये की वह सम्पत्तियाँ जो ऋणदाताओं के मध्य वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होतीं, वह निम्नलिखित हैं- -

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(1) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 28 (5) के अनुसार, दिवालिया की ऐसी सम्पत्ति (जो लेखा पुस्तकें न हों) जोकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा डिक्री के निष्पादन में कुर्क किये जाने या बेचे जाने के दायित्व से छूट प्राप्त हो ।

(2) वह हर्जाना, जिसे कि दिवालिया अपनी व्यक्तिगत छूट के लिए वसूल करता है, दिवालिये को ऐसी सम्पत्ति नहीं कहा जा सकता है, जो ऋणदाताओं के मध्य वितरणीय हो ।

(3) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 28-A के प्रथम परन्तुक के अनुसार, ऐसी शक्तियों के प्रयोग करने और उनके कार्यवाही करने का सामर्थ्य जो कि अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रयोग किया जाता रहा हो और जोकि किसी संक्षम न्यायालय के द्वारा किए गये अन्तिम निश्चिय की विषय वस्तु रहा हो।

(4) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 28-A के द्वितीय परन्तुक के अनुसार, ऐसे सामर्थ्य जो मद्रास राज्य में 28 जुलाई, 1942 के उपरान्त किन्तु प्रान्तीय दिवाला संशोधन अधिनियम 1948 के प्रारम्भ के पूर्व प्रयोग की जाती थी।

PGS NATIONAL COLLGE OF LAW